न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनील आर्य (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 14/2023 (225 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2023/72

उनवान

1. मोहिनी पत्नी बदले
2. चन्द्रवती पत्नी रूपदास

} पुत्रीया रामस्वरूप माता सौमोती जाति वैरागी बाबाजी निवासी रहीमपुर तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. हरविलास
2. रमेश

} पुत्र रामस्वरूप जाति बैरागी बाबाजी नि0 रहीमपुर तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

3. पंजाब नेशनल बैंक शाखा उच्चैन जिला भरतपुर जरिये प्रबंधक महोदय।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब उच्चैन वहैसियत लैण्ड होल्डर।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 17.02.2023 प्रकरण संख्या 109/2022 उनवान मोहिनी बनाम हरविलास न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन।

अभिभाषकगण :–

1. श्री दुलीचन्द शर्मा एवं हेमराज शर्मा अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. श्री महाराज सिंह डागुर अभिभाषक रैस्पो0 उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :–18.03.2025

1. यह अपील इस न्यायालय में सहायक कलक्टर उच्चैन के निर्णय दिनांक 17.02.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 प्रस्तुत करते हुये विवादित आराजी में अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा एवं विवादित आराजी के विभाजन का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण/रैस्पो0 को तलव किया गया। प्रतिवादीगण रैस्पो0 ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 11 सीपीसी का प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुये, प्रतिवादीगण रैस्पो0 का प्रार्थना पत्र आदेश 11 सीपीसी स्वीकार करते हुये, दावा वादी अपीलाण्ट विवादित आराजी खसरा नम्बर 69 की हद तक खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 11 सीपीसी का प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलाण्ट का दावा धारा 11 से बाधित मानते हुये, गलत रूप से खसरा नम्बर 69 की हद तक खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में विवाद्यक ही नहीं बनाये हैं ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि दोनों दावो में समान विवाद्यक बिन्दु अंतिक रूप से पूर्व के दावे में तय हो चुके हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने रेसजूडिकेटा के सिद्धान्त के आधार पर दावा खारिज करने में त्रुटि की है। यह है कि पूर्व न्याय का सिद्धान्त एक विधि एवं तथ्यों का मिला हुआ प्रश्न है, जो दोनों पक्षो की प्लीडिंगस एवं साक्ष्य के आधार पर ही तय हो सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में अभी जवाब तक प्रतिवादी रैस्पो0 की ओर से पेश नहीं किया गया है। अतः पूर्व न्याय का सिद्धान्त मात्र प्रार्थना पत्र के आधार पर तय नहीं किया जा सकता है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरएलडब्लयू 2009(1) पेज 413, आरबीजे 2015 पेज 306 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। पूर्व में विवादित आराजी बाबत् निर्णय पारित हो चुका है। उक्त दावे में विवादित आराजी एवं पक्षकार समान ही थे। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उचित रूप से अपीलाण्ट के दावे को खारिज किया है। जब दावा विधि से वर्जित हो तो न्यायालय उसे किसी भी स्तर पर खारिज कर सकती है। पूर्व में दावा सौमोती बनाम हरविलास चला जिसमें दौराने वाद सौमोती फौत हो गयी। सौमोती के स्थान पर अपीलाण्ट उक्त दावे में कायम मुकाम बने एवं अपीलाण्ट का सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिला एवं दावा खारिज हो गया। अतः प्रकरण में रेसजूडिकेटा लगता है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 1987 पेज 177, आरआरडी 1991 पेज 139, 1992 पेज 226, 1999 पेज 514, 2000 पेज 322, डीएनजे 2017(1) पेज 01, 2016 पेज 644, 2022(4) पेज 1327, एआईआर 1998 पेज 634 डब्ल्यूएलसी 2000 पेज 514 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों की रोशनी में प्रकरण का गहनता से परीक्षण किया। प्रतिवादीगण रैस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी पेश करते हुए, प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि पूर्व में इसी विवादित आराजी बाबत अन्तिम रूप निस्तारण किया जा चुका है; एवं प्रकरण में अंकित विवादित आराजी एवं पक्षकार समान ही हैं। अतः वादीगण अपीलाण्ट को पुनः उसी विवादित आराजी बाबत् नये सिरे से दावा करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी वादीगण अपीलाण्ट का दावा (धारा 11 सीपीसी) पूर्व न्याय (Res judicata) के सिद्धान्त पर सुने जाने योग्य नहीं माना जाकर, प्रतिवादीगण रैस्पो0 का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा धारा 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए, दावा वादीगण अपीलाण्ट खारिज कर दिया, जिसे विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता है। हमारा मत है कि पूर्व न्याय का प्रश्न तथ्य एवं विधि

भू प्रबंध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

का मिश्रित प्रश्न है। जिसका विनिश्चय साक्ष्य एवं दस्तावेजात के बिना किया जाना सम्भव नहीं है। पूर्व न्याय के बिन्दु का विनिश्चय करने के लिए न्यायालय को पूर्व के प्रकरण के वादपत्र, जवाब दावा, विरचित विवाद्यक एवं न्यायालय के पूर्व निर्णयो को देखना होगा, जो साक्ष्य की विवेचना की श्रेणी में आते हैं और इस प्रकार साक्ष्य की विवेचना, जवाब दावा एवं दोनों पक्षों के साक्ष्य व दस्तावेजात प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर देने के बाद ही सम्भव हैं। बिना साक्ष्य का अवसर दिये, प्रारम्भिक स्तर पर इस प्रकार की कार्यवाही विधिक नहीं मानी जा सकती है, तथ्य एवं विधि का मिश्रित बिन्दु, साक्ष्य आदि लेने के बाद ही निर्णीत किया जा सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व न्याय के सिद्धान्त के आधार पर प्रतिवादीगण रैस्पो0 द्वारा ली गयी आपत्ति के आधार पर प्रारम्भिक स्तर पर वाद को खारिज करना उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वह प्रकरण में प्रतिवादी रैस्पो0 से जबाव दावा लेते एवं दावा एवं जवाब दावा के आधार पर प्रकरण में यथोचित विवाद्यक (तनकीयात) कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, वाद का विधिसम्मत तरीके से निस्तारण करते। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के आधार पर वाद पत्र को केवल तभी खारिज किया जा सकता है, जब वाद पत्र में अंकित कथन मात्र से यह प्रतीत हो कि वाद विधि द्वारा वर्जित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह सुविचारित मत है कि धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता अन्तर्गत, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को खारिज किये जाने का अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों की त्रुटिपूर्ण व्याख्या पर आधारित होने के कारण स्थिर नहीं रखा जा सकता है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन, भरतपुर के निर्णय दिनांक 17.02.2023 अपास्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में प्रतिवादी रैस्पो0 से जवाब दावा लेते हुये एवं दावा एवं जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम कर एवं उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुये पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 18.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

(सुनील आर्य)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर